न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र. कैम्प भोपाल

अपील–0068/2019/हरदा/भू.रा

(291)

अपील क्रमांक :–

प्रस्तुत दिनांक :– 09/01/2019

अपीलार्थीगण :– 1. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल आत्मज श्री बद्रीप्रसाद अग्रवाल (फौत)

वारसानगण – अ. श्रीमती पुष्पाबाई आयु लगभग 65 वर्ष
पत्नि स्व. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल

ब. अनिल कुमार आयु लगभग 50 वर्ष आ. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल

स. आलोक कुमार आयु लगभग 44 वर्ष आ. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल

विरूद्ध

उत्तरवादीगण :– 1. मध्य प्रदेश शासन

2. श्री गुरूसिंह सभा, सार्वजनिक धार्मिक न्यास
द्वारा प्राधिकृत श्री नरेन्द्र सिंह सालूजा एवं जितेन्द्रसिंह
आत्मज श्री गुरूजीतसिंह खनूजा
निवासी स्टेशन रोड़ हरदा, तहसील एवं जिला–हरदा

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(क)(2)(1) म.प्र.–भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्र.446/अपील/2018–19 जिला–होशंगाबाद अपीलार्थी श्याम सुंदर पिता बद्रीप्रसाद अग्रवाल के (मृत वारसान अ– श्रीमती पुष्पाबाई बेवा श्यामसुंदर अग्रवाल, ब – अनिल कुमार, स– आलोक कुमार दोनो पिता स्व. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल सभी निवासी सादानी कम्पाउण्ड हरदा, तह. एवं जिला–हरदा विरूद्ध म.प्र.शासन एवं श्री गुरूसिंह सभा सार्वजनिक धार्मिक न्यास द्वारा नरेन्द्रसिंह सलूजा एवं जितेन्द्रसिंह खनूजा होशंगाबाद से लेकर दिनांक 27/12/2018 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारो पर यह अपील प्रस्तुत है :–

"अपील के तथ्य"

1/– यह कि, अपीलार्थी क्र.1 श्रीमती पुष्पाबाई के स्वर्गीय पति एवं अपीलार्थीगण ब एवं स के पिता श्याम सुंदर अग्रवाल को शीट क्रमांक 25डी.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–अपील–0068 / 2019 / हरदा / भू.रा.

श्याम सुंदर अग्रवाल(फौत) वारिसान–
श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन, 2. श्री गुरूसिंह सभा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–01–19	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में अपीलार्थी श्याम सुंदर अग्रवाल(फौत) के वारिसान श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा एवं शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारस्तव को दिनांक 14–01–19 को ग्राह्यता के तर्क पर सुना गया । 2/ अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (क)(2)(1) के अंतर्गत द्वितीय अपील आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 446 / अपील / 2018–19 में पारित आदेश दिनांक 27–12–2018 से असंतुष्ट होकर न्यायालय राजस्व मण्डल में दिनांक 9–01–2019 को अपील प्रस्तुत किया है। 3/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने दिनांक 10–01–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अपील आवेदन को निगरानी में सुना जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी अभिभाषक के आवेदन को मान्य किया जाकर उक्त अपील आवेदन को निगरानी आवेदन के रूप में सुना गया । 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट	

होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबध में व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 169ए/2004 में पारित आदेश दिनांक 22–12–2005 में अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में डिक्री पारित की है। आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश को अपील में चुनौती दी थी जो प्रकरण कमांक 56ए/2006 में पारित आदेश दिनांक 05–2–2007 से निरस्त हो चुकी है। व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में नजूल अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास हरदा जिला हरदा द्वारा आदेश दिनांक 26–4–2018 से अनावेदक श्याम सुन्दर अग्रवाल (इस प्रकरण में निगरानीकर्ता) प्रश्नाधीन भूमि का दिया गया पट्टा निरस्त किया है। आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालयों के आदेश के कम में नजूल अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2018 को उचित पाया है।

5/ आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ने अपने आदेश के पृष्ठ 6 के प्रथम पैरा में निम्नानुसार टीप अंकित की है– " माननीय न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–02–2007 से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हरदा के निर्णय दिनांक 22–12–2005 एवं डिक्री बिन्दु क्रमांक –01 लगायत 05 की पुष्टि की गई है तथा निर्णय व डिक्री में बिन्दु क्रमांक –06 में लगाई गई शर्त को अपास्त किया गया है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि वादोक्त संपत्ति को माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अवधारित किया है कि–" वादी

श्याम सुंदर अग्रवाल(फौत) वारिसान–
श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेशशासन, 2. श्री गुरूसिंह सभा

अर्थात श्री गुरू सिंह सभा (इस प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक–2) वादोक्त संपत्ति का स्वामी है और वादी के द्वारा प्रतिवादी की किरायेदारी विधिवत समाप्त कर दी है। अतः माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित निर्णय बंधनकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अहस्तक्षेपनीय है। "

6/ आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के द्वारा सभी तथ्यों का समावेश करते हुये बोलता हुआ आदेश (**Speeking Oder**) पारित किया है। आवेदन अभिभाषक के द्वारा मेरे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वर्णित तथ्यों से भिन्न तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–2018 से पूर्ण रूप से सहमत होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

7/ पक्षकार सूचित प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

24.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य

25-1-19

3/3